

फुटपाथ विक्रेता चर्टर

पथ विक्रेता ( जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन ) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, पक्कीदयाल..... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र०सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सकें
1	2	3	4	5	6	7
1	पंजीकरण	1.परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाईल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निशुल्क	7 दिन	CRPs/ ऑफिस सहायक/नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण ।


क्र०सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
1	2	3	4	5	6	7
3	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1 SLUM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ. महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निगम किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहाचान / प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु— 500 /रु	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

कार्यालय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण ।

क्र०सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सकें
1	2	3	4	5	6	7
1	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु	7दिन	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

अध्यक्ष

नगर विक्रय समिति,  
नगर पंचायत पकड़ीदयाल ।

  
22/01/2021